

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18 /2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017 द्वारा प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये थे, विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में दिनांक : 26.10.2017 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

प्रधानाचार्य उमावि की कार्यभार ग्रहण किये जाने की अवधि में अभिवृद्धि चाहे जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के आधार पर निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि को नवपदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अवधि में (कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार) निम्नानुसार अभिवृद्धि सम्बन्धी स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण अभिवृद्धि (दिनांक..... तक)
1	2	3	4
1.	तारा मिश्रा व्याख्याता राउमावि मेडतासिंटी जिला नागौर	राउमावि गाजू जिला नागौर	02.11.17 तक (07 दिवस)


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

आज्ञा से,  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक::शिविरा/मा/संस्था/बी-1 2/प्रधाना.-प्र.अ./कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2017 दिनांक : 25.10.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित उपनिदेशक, /जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा,
2. सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, राउमावि/रामावि को पालनार्थ।
3. संबंधित शिक्षा अधिकारी।
5. निजी/ रक्षित पत्रावली।

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)